

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, भगता मन्दिर रोड, भोपाल

क्रै / B-52 (7) / कालेज / 1820/2019.

भोपाल, दिनांक 4 / 7 / 2019

BY SPEED POST

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,

पीपुल्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेस,

पीपुल्स कैम्पस, भानपुर,

जिला भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय :-

पीपुल्स कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेस, भोपाल को पैरामेडिकल विभाग में संचालित पाठ्यक्रम की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिषद को सम्बोधित संस्था के सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष में सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश 1115/1329/07/1/55 दिनांक 05/04/2010 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से आदेश में उल्लेखित 05 विभिन्न सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की औपचारिक अनुज्ञा (FORMAL PERMISSION) प्रदान की गयी है ।

संस्था द्वारा उक्त आदेशानुसार वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 04 विभिन्न सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो निम्नानुसार है :- 1-BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY, 2-BACHELOR IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN, 3-DIPLOMA IN MEDICAL LAB. TECHNICIAN, 4-DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN, में (50-50 सीट्स) की निरन्तरता हेतु आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन में, शैक्षणिक सत्र 2019-2020 की निरन्तरता बावत् आवश्यक मान्यता शुल्क नियमानुसार दिनांक 12/04/2019 को परिषद निधि में जमा करा दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में संस्था को शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिये 04 सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की निरन्तरता प्राप्त है ।



कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./F-52 (6) / कालेज / 1990 / 2017, भोपाल, दिनांक 24/05/2017
BY SPEED POST

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,

पीपुल्स कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेस,

पीपुल्स कैम्पस, भानपुर, जिला भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय :- पीपुल्स कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेस, जिला-भोपाल को पैरामेडिकल विभाग में संचालित पाठ्यक्रम की स्थायी मान्यता के सन्दर्भ में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत परिषद को सम्बोधित संस्था के सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्र. 1118/1329/07/01/55 दिनांक 05/04/2010 के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2010-2011 से आदेश में उल्लेखित 05 विभिन्न सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की औपचारिक अनुज्ञा (FORMAL PERMISSION) प्रदान की गयी है । संस्था द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र से Bachelor In Human Nutrition पाठ्यक्रम के लिये आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार संस्था को 04 विभिन्न सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की औपचारिक अनुज्ञा (FORMAL PERMISSION) प्राप्त है ।

शासन द्वारा जारी उक्त आदेश की कण्डिका-08 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में, संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2017-2018 की निरन्तरता बावत् आवश्यक मान्यता शुल्क दिनांक 01/11/2016 को बैंक ड्राफ्ट क्र. 074979, 074989 दिनांक 25/10/2016, 28/10/16 के माध्यम से (तीन लाख बीस हजार रुपये) इस परिषद में जमा कराया गया है । संस्था से नियमानुसार शुल्क प्राप्त किया गया है । इस प्रकार वर्तमान में संस्था को शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिये संस्था को 04 सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन की निरन्तरता प्राप्त है ।

प्र. पंजीयक

म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद

पृ.क्र./F-52 (6) / कालेज / / 2017, भोपाल, दिनांक / / 2017
प्रतिलिपि,

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद, सी-18, शिवाजी नगर, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल ।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. जिला संयोजक एवं आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला-भोपाल ।
6. कुलसचिव, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
7. कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल ।
8. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, भोपाल ।

प्र. पंजीयक

म०प्र० सह-चिकित्सीय परिषद